ऑन लाईन नं.RCMS2022/101

**न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर**

**पीठासीन अधिकारी : डा. हरीतिमा, आर.ए.एस.**

**न्याय निर्णयन आवेदन सं0 20 / 2022**

श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

2. श्री राकेश अग्रवाल पुत्र श्री रामचन्द्र अग्रवाल निवासी ग्राम ख्यालीवाला तहसील श्रीगंगानगर।
   **मै0** श्री श्याम ट्रेडिंग कम्पनी, सब मण्डी वार्ड , रीको, श्रीगंगानगर।

**अपराध अ0 धारा 26 उपधारा 2(ा)खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011**

**निर्णय** दिनांक : 18.11.2022

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता दिनांक 26.10.2020 से कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नियुक्त किया गया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2020 के अनुसार उन्हें कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है। श्रीगंगानगर कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र में बताये है।

श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 20.10.2021 को 11.00 ए.एम पर दौराने निरीक्षणार्थ श्री राकेश अग्रवाल पुत्र श्री रामचन्द्र अग्रवाल निवासी ग्राम ख्यालीवाला तहसील श्रीगंगानगर, **मै0** श्री श्याम ट्रेडिंग कम्पनी, सब मण्डी वार्ड , रीको, श्रीगंगानगर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दुकान/संस्थान पर मालिक श्री राकेश अग्रवाल पुत्र श्री रामचन्द्र अग्रवाल निवासी ग्राम ख्यालीवाला तहसील श्रीगंगानगर, **मै0** श्री श्याम ट्रेडिंग कम्पनी, सब मण्डी वार्ड , रीको, श्रीगंगानगर कारोबार कर रहा था जिसका विक्रेता एवं मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य अनुज्ञापत्र दिखाने को कहा तो उसने खाद्य अनुज्ञापपत्र नहीं होना बताया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर निरीक्षणार्थ दुकान में **500–500 ग्राम के मिर्च पाउडर नायरा ब्राण्ड** के 10 डिब्बे विक्रय हेतु रखे थे। शुद्वता की जांच वास्ते उसमें से 04 पैक डिब्बे नमूने वास्ते लिये एवं विक्रेता एवं मालिक को मौके पर फार्म संख्या 5ए की प्रति नमूना सूचनार्थ तैयार कर गवाहान व स्वयं के हस्ताक्षर कर विक्रेता के हस्ताक्षर करवा के फार्म नम्बर 5–ए की एक प्रति मौके पर मालिक विक्रेता को दी और खरीद प्राप्ति रसीद ली जो सलंग्न है। तत्पश्चात **500–500 ग्राम के मिर्च पाउडर नायरा ब्राण्ड** के 10 डिब्बे में से 4 डिब्बे जांच हेतु

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)

लिये। जिसके पेटे 480/– रूपये नगद देकर गवाहन, विक्रेता एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त की जो सलग्न है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी, ने खरीदशुदा **500–500 ग्राम के मिर्च पाउडर नायरा ब्राण्ड** के 10 डिब्बे में से 4 पैक डिब्बे के नमूने लिये। जिसको मूल 4 पैक अलग–अलग भाग में प्रत्येक को लेबल तैयार कर प्रत्येक नमुना पर लेबल चिपकाए एवं लेबलों पर डीओ कोड एवं सिरीयल **नम्बर के–1218** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये और जार को अलग–अलग खाकी कागज में लेपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ गंगानगर की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप **के–1218** नियमानुसार चारो नमूनो पर नीचे से उपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को पेपर स्लीप उपर धागे से बांधकर नियमानुसार चार–चार जगह ब्रास सील से मोहर चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद्व पदार्थ का विवरण **के–1218 मिर्च पाउडर नायरा ब्राण्ड** लिखकर हस्ताक्षर कियें एवं स्वयं ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य कारोबारकर्त्ता राकेश अग्रवाल पुत्र रामचन्द्र अग्रवाल ,ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–एलएस/382/एक्ट/2021/371 दिनांक 29.10.2021 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1218 Misbranded Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त श्री राकेश अग्रवाल पुत्र श्री रामचन्द्र अग्रवाल निवासी ग्राम ख्यालीवाला तहसील श्रीगंगानगर **मै0** श्री श्याम ट्रेडिंग कम्पनी, सब मण्डी वार्ड , रीको, श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **Miarch Powder (NAYRA)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 18.04.2022 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि:–

1. यह कि दिनांक 20.10.2021 को अप्रार्थी की दुकान से जो सैम्पल लिये गए है, नमूना लेने की प्रकिया का पूर्ण रूप से पालन किये बिना ही लिये गए है, इसलिए नोटिस दिनांक 22.04.2022 खारिज किये जाने योग्य है।
2. अप्रार्थी दुकान संचालककर्ता एक छोटा विक्रेता है, उसकी छोटी परचून की दुकान है, जो ग्राम पंचायत ख्यालीवाला (11 एलएनपी) के क्षेत्र में स्थित है, जो पिछले करीब एक वर्ष से कारोबार में है, अप्रार्थी का कोई बड़े स्तर का कारोबार नहीं है, अप्रार्थी की आर्थिक हैसियत एक साधारण व्यक्ति के स्तर की है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

3. यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अप्रार्थी की दुकान के बतौर सैम्पल जो दो डिब्बे मिर्च लिये थे उनकी कीमत बाबत् 480/–रूपये , अप्रार्थी को अदा नहीं किये गये है, दवाब से रसीद दिनांक 20.10.2021 पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर करवाये है, गवाह गंरजिन्द्र के हस्ताक्षर रसीद पर पूर्ण लिखा–पढ़ी लिये बिना ही करवाये गये है, इसलिये भी अप्रार्थी को दिया गया नोटिस खारिज किये जाने योग्य है।
4. यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 20.10.2021 को अप्रार्थी की दुकान से बतौर सैम्पल जो चार लिये है उक्त डिब्बों का मिर्च पाउडर प्लास्टिक की थैली कांच की शीशी–प्लास्टिक के जार वगैरहा किस तरह के बर्तन में सैम्पल लिया अपनी फर्द में दर्ज नहीं किया है तथा इस्तगासा में भी यह तथ्य दर्ज नहीं किया गया है, इसलिये बनाई गई फर्द नियमानुसार नहीं है। फर्द पर जिन गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये है उन्हें उक्त कार्यवाही को न तो पढ़कर सुनाया गया ना ही उन्हें यह समझाया गया कि उनके हस्ताक्षर किस बाबत् करवाये गये हैं।
5. अप्रार्थी छोटा दुकानदार है इसका कारोबार बहुत बड़े स्तर का नहीं है उक्त नायरा ब्राण्ड मिर्च पाउडर 10 डिब्बे पहली बार ही खरीदकर लाया था, जिसमें से अभी तक कोई बेचान नहीं किया था, जो डिब्बे सैम्पल में लिये गये थे, उनको छोड़कर शेष डिब्बे नष्ट कर दिये गये है, इस प्रकार से उक्त नायरा ब्राण्ड मिर्च पाउडर के सौदा से अप्रार्थी को कोई फायदा न होकर नुकसान हुआ है, तथा उक्त सौदा से किसी अन्य व्यक्ति को कोई नुकसान भी नहीं हुआ है।
6. यह कि उक्त मिर्च पाउडर तैयारकर्ता ने अप्रार्थी को अच्छी किस्म का मिर्च पाउडर करना व बिल बाद में जारी करना कहा गया , मगर बाद में उसने बिल जारी करने से स्पष्ट इनकार कर दिया, इस प्रकार से अप्रार्थी सद्भावी है।
7. यह कि नमूना के–1218 की जांच अन्य जांच अथोरिटी से करवाये जाने हेतु जबानी तौर मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्रीगंगानगर से निवेदन कर दिया था मगर अप्रार्थी के निवेदन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।
8. यह कि उक्त सैम्पल की जांच रिपोर्ट जो खाद्य विश्लेषक दी है, उसमें बड़ी भिन्नता नहीं है, थोड़ी बहुत भिन्नता आने के अनेक कारण हो सकते है जो प्रकिया व मानवीय भूल व गलती हो सकती है जो प्राकृतिक भी हो सकती है।

अतः जवाब नोटिस दिनांक 22.04.2022 अन्तर्गत धारा 26 उपधारा (11) एफएफएसए 2006 सपठित नियम 2011 पेशकर अर्ज है कि नोटिस खारिज फरमाया जावें।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **Miarch Powder (NAYRA)** का सैम्पल **K-1218** जांच रिपोर्ट क्रमांक :–एलएस/382/एक्ट/2021/371 दिनांक 29.10.2021 द्वारा **Misbranded Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी दुकान संचालककर्ता एक छोटा विक्रेता है, उसकी छोटी परचून की दुकान है, जो ग्राम पंचायत ख्यालीवाला (11 एलएनपी) के क्षेत्र में स्थित है, जो पिछले करीब एक वर्ष से

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)

कारोबार में है, अप्रार्थी का कोई बड़े स्तर का कारोबार नहीं है, अप्रार्थी की आर्थिक हैसियत एक साधारण व्यक्ति के स्तर की है।खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अप्रार्थी की दुकान के बतौर सैम्पल जो दो डिब्बे मिर्च लिये थे उनकी कीमत बाबत् 480/—रूपये , अप्रार्थी को अदा नहीं किये गये है, दवाब से रसीद दिनांक 20.10.2021 पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर करवाये है, गवाह गंरजिन्द्र के हस्ताक्षर रसीद पर पूर्ण लिखा—पढ़ी लिये बिना ही करवाये गये है।खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 20.10.2021 को अप्रार्थी की दुकान से बतौर सैम्पल जो चार लिये है उक्त डिब्बों का मिर्च पाउडर प्लास्टिक की थैली कांच की शीशी—प्लास्टिक के जार वगैरहा किस तरह के बर्तन में सैम्पल लिया अपनी फर्द में दर्ज नहीं किया है तथा इस्तगासा में भी यह तथ्य दर्ज नहीं किया गया है, इसलिये बनाई गई फर्द नियमानुसार नहीं है।अप्रार्थी छोटा दुकानदार है इसका कारोबार बहुत बड़े स्तर का नहीं है उक्त नायरा ब्राण्ड मिर्च पाउडर 10 डिब्बे पहली बार ही खरीदकर लाया था, जिसमें से अभी तक कोई बेचान नहीं किया था, जो डिब्बे सैम्पल में लिये गये थे, उनको छोड़कर शेष डिब्बे नष्ट कर दिये गये है, इस प्रकार से उक्त नायरा ब्राण्ड मिर्च पाउडर के सौदा से अप्रार्थी को कोई फायदा न होकर नुकसान हुआ है, तथा उक्त सौदा से किसी अन्य व्यक्ति को कोई नुकसान भी नहीं हुआ है। उक्त मिर्च पाउडर तैयारकर्ता ने अप्रार्थी को अच्छी किस्म का मिर्च पाउडर करना व बिल बाद में जारी करना कहा गया , मगर बाद में उसने बिल जारी करने से स्पष्ट इनकार कर दिया, इस प्रकार से अप्रार्थी सद्भावी है। अतः जवाब नोटिस दिनांक 22.04.2022 अन्तर्गत धारा 26 उपधारा (11) एफएफएसए 2006 सपठित नियम 2011 पेशकर अर्ज है कि नोटिस खारिज फरमाया जावें।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **Miarch Powder (NAYRA) "Code No and Sr. No. K-1218 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Misbranded Food Under Section 3(I)(ZF) (C)(i) of Food Safety and standards Act.2006** की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त राकेश अग्रवाल पुत्र रामचन्द्र अग्रवाल को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त राकेश अग्रवाल पुत्र रामचन्द्र अग्रवाल को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत राशि रूपये 25,000—00 (अखरे रूपये पच्चीस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में **Miarch Powder (NAYRA)** खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा. हरीतिमा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर